हक़
को पहचानों
हक़
वालों को पहचान
जाओगे

हक़ की पहचान

मुसन्निफ़

सदरूल अफ़ाज़िल हज़रत अल्लामा मौलाना
सैयद मुहम्मद नईमुद्दीन मुरादआबादी अलैहिर्रहमह

मुतर्जिम

सूफ़ी अनवर रज़ा खान क़ादरी

الله

रसूल
(सल्ललाहु अलैहि वस्ल्लम)

खुलफाए राशिदीन
(अबू बकर, उमर, उस्मान, अली
रज़ियल्लाहु अनहुम)

सहाबा
(रजियल्लाहु अन्हुम)

तबा तबईन
(रहमतुल्लाहि अलैहिम)

औलियाए कामिलीन
(रहमतुल्लाहि अलैहिम)

मुज़द्दिदीन
(रहमतुल्लाहि अलैहिम)

आला हज़रत
(इमामे अहमद रज़ा खान
रहमतुल्लाहि अलैहि)

ताजुश्शरिअह
(मुफ्ती अख्तर रज़ा खान)
रहमतुल्लाहि अलैहि)

"सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से थाम लो और फिर्क़ों में न बंटो"
सूरह इमरान
आयत 103

GKR Digital PUBLISHER

GKR Digital PUBLISHER

About Publisher

GKR (Ghaus o Khwaja o Raza) Digital Publisher ek Sunni Islamic digital publishing platform hai jo Islami kitaabon aur taleemaat ko nayi soch aur updated andaz me logon tak pahuchane ka kaam karta hai. Yah platform khas kar Islami kitaabon ko **Hindi aur Roman** script me translate karta hai, taaki ilm-e-deen (Islamic knowledge) ko aam logon aur khaas tabqe (awam aur khwas) tak asaan aur samajhne layak format me pesh kiya ja sake.





Join Team Member

Agar aap GKR ke saath judna chahte hain ya is platform ke zariye koi kitaab Translate/publish karana chahte hain, to yah ek behtareen moka hai ilm-e-deen ko doosron tak pahunchaane ka.

Founder :
Writer | Translator | Creator | Designer | Composer
Sufi Anwar Raza Khan Qadri
9534124663 (GP/Phone)
(Mureede Tajush Sharia)
Ba Faize Roohani Huzoor Khawaja Garib Nawaz

www.ghausokhwajaorazatrust.com

Donate to Islam

Anwar Khan

Indian Bank 8894

किताब नाम	:	**हक़ की पहचान**
मुसन्निफ़	:	सदरुल अफ़ाज़िल हज़रत सैय्यद मुहम्मद **नईमुद्दीन मुरादाबादी** अलैहिर्रहमा
बानी	:	जामिआ नईमिय्या, मुरादाबाद, अल-हिन्द
भाषा:	:	हिन्दी
कैटेगरी	:	अक़ाइद की इस्लाह
मुतर्जिम व मुर्त्तिब	:	सूफ़ी अनवर रज़ा खान क़ादरी
कंपोज़िंग और डिज़ाइनिंग	:	सूफ़ी अनवर रज़ा खान क़ादरी
PDF	:	GKR Digital Publisher
साल	:	मई 2026
पेज	:	42

हम्द व सना

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

तमाम तारीफें अल्लाह के लिए

- जो 1 माबूदे हक़ीक़ी है । उसका कोई शरीक नहीं, न ज़ात में, न सिफ़ात में, न अफ़आल (काम) में, न अहकाम में, न अस्मा में
- जिसने अपनी क़ुदरत से हमे तमाम मख़्लूक में सबसे अफ़ज़ल यानी इंसान बनाया
- जिसने अपने फ़ज़्लों करम से हमे तमाम उम्मतों से अफ़ज़ल अपने हबीब का उम्मती यानी मुसलमान बनाया
- जिसने अपने रहमो करम से हमे इस उम्मत के सवाद ए आज़म में से यानी सुन्नी बनाया।
- जिसने दौर के मुताबिक अपने वली हुज़ूर आला हज़रत के जरिये हमे सुन्नियों में अफज़ल यानी बरैलवी बनाया।
- तमाम तारीफें उस ज़ात के लिए है जिसके लिए हम बरैलवी हक़ वालों से महब्बत और बातिल फ़िरकों से नफ़रत करते है।
- दरूद व सलाम हो उस नबीये करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम पर जिसे तूने अपनी नूर की तजल्ली से बनाया और सारे जहां के लिए रहमत बनाकर हम गुनहगार उम्मतियों का नबी बनाया व सलामती हो असहाब पर और नबी के आल पर और सलामती हो उन तमाम मोमिनीन व मोमिनात पर जिन्होंने तुझे राज़ी किया।

اِتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ فَإِنَّهُ مَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ

(तुम सवाद आ'ज़म यानी बड़ी जमात की पैरवी करो क्योंकि जो इस से जुदा हुआ जहन्नम में गया।)

(अल-हदीस)

तालिबान-ए-हक़ के लिए एक ख़ूबसूरत तोहफ़ा

(एक दिलकश, छोटी, पुर-मग़्ज़-ओ-जानदार तहरीर)

हक़ की पहचान

"बद-मज़हबों, बे-दीनों और गुमराह अक़ाइद रखने वालों से दूरी ही असल दीन है। बातिल फ़िरक़ों से इत्तिहाद, अहले सुन्नत वल जमात की क़ुव्वत को मुन्तशिर करना है।

मुसन्निफ़

सदरूल अफ़ाज़िल हज़रत अल्लामा मौलाना

सैयद मुहम्मद नईमुद्दीन मुरादआबादी अलैहिर्रहमह

मुतर्जिम व मुर्त्तिब:

सूफ़ी अनवर रजा खान क़ादरी

फ़ेहरिस्त

Related इज़ाफ़ा-ए-इल्म (मुतर्जिम)

बिहम्दिल्लाह तआला, दीन-ए-इस्लाम क़ियामत तक के लिए मुकम्मल और कामिल दीन है। कुरआन और अहादीस-ए-मुबारका में हर दौर के इंसानों के लिए हिदायत मौजूद है। मगर ज़माने के बदलते हालात, नए फ़ितने और नए सवालात की वजह से कभी-कभी पुरानी किताबों में कुछ ऐसी वज़ाहतों, हवाले और तफ़सीलात का इज़ाफ़ा करना ज़रूरी महसूस होता है, जिनसे आज के दौर का क़ारी (किताब पढ़ने वाला) आसानी से मसअला समझ सके।

इसी ज़रूरत के पेश-ए-नज़र इस किताब में कुछ मुक़ामात पर कुरआन-ओ-हदीस के मज़ीद हवाले, तशरीह और अस्र-ए-हाज़िर से मुतअल्लिक़ वज़ाहतें शामिल की गई है । इसका मक़सद हरगिज़ यह नहीं कि दीन में कोई नई बात पैदा की जाए या अस्ल तालीमात में तब्दीली की जाए, बल्कि सिर्फ़ यह है कि आज के दौर का इंसान दीन की बात को बेहतर अंदाज़ में समझ सके और फ़ितनों से बच सके।

अस्ल दीन वही है जो मुहम्मद ﷺ ने उम्मत तक पहुँचाया और जिसे अकाबिर-ए-उम्मत ने महफ़ूज़ रखा। यह इज़ाफ़ा सिर्फ़ तफ़हीम (समझाने), तौज़ीह (स्पष्टीकरण) और तज्दीद-ए-फ़हम के लिए है, न कि किसी नए दीन या नए अक़ीदे या फ़ितने की दावत के लिए।

उम्मीद है कि अहल-ए-इल्म और तालिबान-ए-हक़ इस कोशिश को इसी नज़र से देखेंगे और अगर कहीं कोई कमी नज़र आए तो उसकी इस्लाह फ़रमाएँगे। अल्लाह तआला इस कोशिश को अपनी बारगाह में क़बूल फ़रमाए और इसे हक़ की तलाश करने वालों के लिए नफ़अ़ का ज़रिया बनाए। आमीन।

मुतर्जिम
सूफ़ी अनवर रज़ा ख़ान क़ादरी
(मुरीद-ए-ताजुश्शरीह)
Writer I Translator I Creator I Designer I Composer
राँची, झारखण्ड (इण्डिया)
बानी : ग़ौसो ख़्वाजा व रज़ा ट्रस्ट
(Whatsaap) 9534124663

हक़ की पहचान

अल्हम्दुलिल्लाह, अहले हक़ ने हर दौर में बातिल का असली चेहरा लोगों के सामने पेश किया है और दीन-ए-हक़ की सच्ची राह भी बताई है। अपने बुज़ुर्गों के फ़ैज़ो करम से सुन्नी तबलीगी जमात बातिल के चेहरे से नक़ाब उठा कर उनका परदा फ़ाश कर रही है, और इंशा अल्लाह राह-ए-हक़, यानि सीरत-ए-मुस्तक़ीम की राह भी मुसलमानों के सामने पेश करेगी।

हदीस-ए-पाक: रसूलल्लाह (सल्लल्लाहो अलैहिवसल्लम) ने सहाबा-ए-इकराम से फ़रमाया: “मेरी उम्मत में 73 फ़िरक़े होंगे! 72 जहन्नम में जायेंगे! सिर्फ़ एक जन्नत में जायेगा!” सहाबा ने अर्ज़ किया: “या रसूलल्लाह, वो जन्नती फ़िरक़ा कौन है?” हुज़ूर ने फ़रमाया: “**जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबी हैं”।** इस हदीस से ज़ाहिर हुआ कि दीन-ए-हक़ की पहचान के लिए अल्लाह और उसके हबीब ने हर दौर में अपने सच्चे गुलामों का इंतेख़ाब फ़रमाया। हुज़ूर के बाद अगर दीन सीखना हो तो सहाबा से सीखना, जो उनके ख़िलाफ़ हो वो गुमराह है।

एक जमाअत हमेशा हक़ पर रहेगी

हज़रत सौबान रदीअल्लाहु त’आला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु त’आला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि हमेशा मेरी उम्मत में से एक जमाअत हक़ पर रहेगी जो ग़ालिब रहेगी और उनके मुखालेफीन उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगें। यहाँ तक कि क़यामत आ जायेगी । (मिश्कात जिल्द 2 सफा 465 बाहवाला जवाहिरुल हदीस हिन्दी, 131)

हर दौर में हक़ की पहचान:

1. हुज़ूर के पर्दा फ़रमाने के बाद हक़ की पहचान सहाबा-ए-इकराम हुए।
2. जब कलमा पढ़ने वालों ने ज़कात का इंकार किया तो हक़ की पहचान अबू बक्र सिद्दीक़, फ़ारूक़ आज़म, उस्मान-ए-ज़ुन्नूरैन हुए
3. खारजी के दौर मे हक़ की पहचान मौला अली हुए।

4. कर्बला में यज़ीदी भी कलमा पढ़ते थे, हुकूमत भी यज़ीद की थी, लेकिन हक़ की पहचान हुसैन-ए-आज़म और उनके 72 अफ़राद से हुई।
5. सहाबा के बाद जन्नतियों की पहचान ताबेईन हुए।
6. फिर कभी ग़ौस-ए-आज़म, कभी ग़रीब नवाज़, कभी मुजद्दिद अल्फ़-ए-सानी हक़ की पहचान बने।

14 वीं सदी में हक़ की पहचान:

7. 14वीं सदी : हिंद में कुछ गुस्ताख़ फ़िरक़ों ने हुज़ूर (सल्लल्लाहो अलैहिवसल्लम) की शान में गुस्ताख़ियाँ शुरू कीं: कहा कि नबी का ख़्याल नमाज़ में ज़िना के ख़्याल से बदतर है (मा'अज़ल्लाह), नबी मर कर मिट्टी में मिल गए (मा'अज़ल्लाह), नबी का इल्म-ए-ग़ैब जानवरों जैसा है (मा'अज़ल्लाह), सिर्फ़ अल्लाह को मानो रसूल की ताज़ीम ज़रूरी नहीं (मा'अज़ल्लाह)।

जबकि सहाबा का अमल था कि हुज़ूर बुलाते तो नमाज़ छोड़ कर हाज़िर होते। हदीस है: "अल्लाह ने मिट्टी पर हराम कर दिया कि वो नबियों के जिस्म को खाये, नबी ज़िंदा हैं और रिज़्क़ दिए जाते हैं।"

कोई अल्लाह को झूठ पर क़ादिर कह रहा था, कोई शिया बनकर सहाबा की, कोई वहाबी/देवबंदी बनकर अहले बैत की शान में गुस्ताख़ी कर रहा था, कोई नबियों-वलियों के इख़्तियारात का इन्कार कर रहा था।

ऐसे दौर में अल्लाह ने बरेली से इमाम अहमद रज़ा को पैदा फ़रमाया। उन्होंने क़ुरआन-हदीस से गुस्ताख़ों के झूठे अक़ीदे का मुंह तोड़ जवाब दिया, हुज़ूर की शान में गुस्ताख़ी पर उनका कुफ़्र साबित किया और सुन्नियत का परचम लहराया। उन्होंने फ़रमाया:

"तू ज़िंदा है वल्लाह, तू ज़िंदा है वल्लाह
मेरी चश्म-ए-आलम से छुप जाने वाले"

"और कोई ग़ैब क्या, तुमसे निहाँ हो भला
जब न ख़ुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद"

दुनिया के उलमा ने आपको 14 वीं सदी का मुजद्दिद और “आला हज़रत” का लक़ब दिया।

मसलक-ए-अलाहज़रत कोई नई मसलक नहीं : 1200 साल हरमैन में सुन्नियों की हुकूमत थी, नजदी/वहाबी को 200 साल हुए हैं। जब गुस्ताख़ों की असलियत खुली तो वो भी सुन्नी कहने लगे। तब उलमा-ए-अरब कहते: हिंद से आने वाले से अहमद रज़ा के बारे में पूछते, तारीफ़ करे तो सुन्नी, बुराई करे तो गुस्ताख़। इस तरह ईमान वालों की पहचान इमाम अहमद रज़ा बन गए। इसलिए मसलक-ए-अलाहज़रत कहा जाने लगा।

आज “**मसलक-ए-अलाहज़रत**” ही दीन-ए-हक़ की पहचान है। यही मसलक हदीस “जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीक़े पर हो” पर अमल कर रहा है।

अल्लाह ने हर दौर में किसी को दीन की पहचान बनाया, इस दौर में आलाहज़रत को नवाज़ा। अगर वो ईमान की हिफ़ाज़त न करते और वहाबी, देवबंदी, अहले हदीस के कलमा-नमाज़ के पीछे छुपे कुफ्र को बेनक़ाब न करते, तो क्या होता?

याद रखो : जिसने अल्लाह के बंदों (आला हज़रत) का शुक्र ना माना, उसने अल्लाह का शुक्र न माना।

मौजूद दौर मे हक़ की पहचान (हुज़ूर ताजुश्शरिअह)

हुज़ूर आला हज़रत के विसाल के बाद कुछ लोगों ने आला हज़रत से बुज़ ओ हसद रखा और कुछ लोगों ने आला हज़रत का नाम लेकर मसलक-ए-अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ रवैया अपनाना शुरू किया, और तंजीमी तअस्सुब, सुल्हकुल्लियत या ग़ैर-मुहतात तरीक़ों को फ़रोग़ देने लगे, तो हुज़ूर ताजुश्शरिअह ने हक़ की पहचान को वाज़ेह करने के लिए अहले सुन्नत की रहनुमाई फ़रमाई।

पाकिस्तान के 2 बड़े फ़ितने डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी मिन्हाजी और इल्यास अत्तार जो दावते इस्लामी के बानी बन कर अपने अपने तंजीमी तअस्सुब के लिए जब बातिल का रद्द करना छोड़ दिया और सुलहकुल्लियत का दावत

देना शुरू किया , और TV वीडियो को जायज़ मान कर शरीयत का मुखालिफत किया तो इसके ख़िलाफ़ हक़ की आवाज़ हुज़ूर ताजुश्शरिया ने उठाया और बताया |

उन्होंने यह पैग़ाम ए हक़ दिया की हक़ की पहचान सिर्फ़ नारों, नामों या भीड़ की कसरत से नहीं होती, बल्कि क़ुरआन, सुन्नत और अकाबिर-ए-अहले सुन्नत के बताए हुए उसूलों से होती है|

बरेलवी ही हक़ जमाअत है

हक़ जमात की अलामत - अल्लाह कुरआन में फरमाता है (तर्जुमा) : ‘‘तुम न पाओगे उन (वैसे) लोगों को जो यक़ीन (ईमान) रखते हैं अल्लाह और पिछले दिन पर कि दोस्ती (इत्तेहाद) करें उनसे (वैसो से) जिन्हों ने अल्लाह और उसके रसूल से मुख़ालिफ़त की, अगरचे वो उनके बाप या बेटे या भाई या कुंबे (रिस्तेदार) वाले हों ये (लोग) हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान नक़्श फ़रमा दिया और अपनी तरफ़ की रूह से उनकी मदद की और उन्हें बाग़ों में ले जाएगा जिनके नीचे नहरें बहें उनमें हमेशा रहें, अल्लाह उनसे राज़ी और वो अल्लाह से राज़ी यह अल्लाह की जमाअत है सुनता है अल्लाह ही की जमाअत कामयाब है’’| (सूरह मुजादिला, आयत 22)

इस दौर में वो जमाअत बरेलवी ही है - बिला शुबा इस दौर में वो जमात मस्लके आला हज़रत के मुताबिक चलने वाली तहरीक, तंजीम, खानकाह, मदारिस यानी रज़वी /बरेलवी है| इसलिए शारेह बुखारी हज़रत मुफ्ती शरीफउल हक़ अमजदी अलैहिर्रहमा ने फ़रमाया ‘‘ अगर रज़वी ना हो तो किसी खानक़ाह का वजूद बाकी न रहेगा, रज़वियों ही की ललकार से देवबंदियत लरज़ती है और सुन्नियत पनपती है|

इस दौर में देखा सकता है कि बरेलवी सख्ती के साथ बातिल फिरकों जैसे खारजी, राफजी, कादियानी, वहाबी, देवबंदी, अहले हदीस, अहले कुरआन, जमाते इस्लामी वगैरह का रद्द करते या रही है वही ग़ैर बरेलवी सुन्नी सुलहकुल्ली खामोशी या इत्तेहाद के नारे लगाते है और और रद्दे बातिल से रोकते है नतीजा सुलहकुल्लियत जैसे फ़ित्ने जन्म ले रहे है|

बरेलवियों में सहाबीयों वाली सिफत - कुरआन में अल्लाह त'आला का फ़रमान है तर्जुमा कंजुल ईमान : मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और उनके साथ वाले यानी सहाबा काफ़िरों पर सख़्त हैं और आपस में नर्म दिल। (सूरह फत्ह, आयत नं. 29)

सच्चे मुहिब और मोमिन बरेलवी ही है - ईमामे रब्बानी मुजदिदे अल्फ़ेसानी शैख़ अहमद सरहिन्दी रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाते है : ''जब तक ख़ुदा और रसूल के दुश्मनों के साथ दुश्मनी ना रखी जाए, उस वक़्त तक ख़ुदा और रसूल के साथ महब्बत नहीं हो सकती। (जि.1, मक्तूब-266)''

नोट : आज बातिल से इत्तेहाद और सुलहकूलियत का फ़ितना और बुरा को बुरा न कहो , काफिर को काफिर ना कहो का फ़ितना, हक व बातिल एक हो जाओ का फ़ितना मे सिर्फ बरैलवी ही अकेला एक जमात है जिसका अमल कुरआन, हदीस और अकाबिर-ए-अहले सुन्नत के बताए हुए उसूलों पर कायम है इसलिए बरैलवी ही हक़ जमात है।

तआरुफ़-ए-मुसन्निफ़

ज़ेर-ए-नज़र किताब **"हक़ की पहचान"** , फख्र अल-अमासिल सद्र अल-अफाज़िल मुफस्सिर क़ुरआन मुबीन हज़रत अल-'अल्लामा **सैय्यद मुहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी** तग़म्मदहुल्लाह अल-हादी की मारकत अल-आरा तसानीफ़ में से एक है।

इस किताब में सैय्यदी सद्र अल-अफाज़िल ने क़ुरआन व अहादीस और दीगर दलाइल शर'इय्या व 'अक़्लिय्या की रोशनी में मज़हब-ए-अहले सुन्नत और दीगर फिर्का-हाए बातिला नारिया के दरमियान ख़त-ए-इम्तियाज़ खींचते हुए मज़हब-ए-अहले सुन्नत की हक़्क़ानियत को साबित फ़रमाया है। हज़रत ने इस को किस सन में तसनीफ फ़रमाया, कहना मुश्किल है। अहक़र के पास इस किताब का जो नुस्खा है वह अंजुमन अनवार अल-क़ादरिया पाकिस्तान से 2006 में शाए' हुआ। अहक़र ने इसमें फ़क़त तख़रीज का इज़ाफा किया है। बाक़िया पूरी किताब को असल हालत पर रखा है।

इस किताब के मोतबर होने के लिए किसी शहादत की ज़रूरत नहीं है, बस इतना काफ़ी है कि ये **हुज़ूर सद्र अल-अफाज़िल** की तसनीफ है, और आप की ज़ात-ए-गरामी 'इल्मी हल्क़े में किसी तआरुफ की मुहताज नहीं। आप अपने हम-'अस्र 'इल्म में नुमायां हैसियत के हामिल थे।

21 सफर अल-मुज़फ्फर 1300 हिज्री मुताबिक़ यकुम जनवरी 1883 ईस्वी मुबारक दिन दोशनबा (सोमवार) आप की विलादत हुई। आप का ताल्लुक़ खानदान-ए-सादात से है। आप हुसैनी सैय्यद हैं। आप के अस्ल अज्दाद ईरान के मशहूर शहर मशहद के रहने वाले थे। हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर ज़ैब 'अलैहि अल-रहमा के 'अहद-ए-हुकूमत में हिन्दुस्तान तशरीफ़ ला आए, और यहीं मुस्तक़िल सुकूनत इख़्तियार फ़रमाई।

किताब का आगाज़

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

बाब 1

मज़हब-ए-हक़ अहले सुन्नत व जमाअत है

इफ्तिराक़-ए-उम्मत का अलमिया

इस्लाम का दावा करने वाले लोग आज कई फ़िर्क़ों में बँटे हुए हैं। हर फ़िर्क़ा अपने आप को हक़ पर समझता है और दूसरे फ़िर्क़ों को ग़लत ठहराता है। इसी वजह से आपस में झगड़े, बहस, दुश्मनी, नफ़रत और बुग़्ज़-ओ-हसद पैदा होती रहती है। तअस्सुब (हठधर्मी) और नफ़्सानी ख़्वाहिशात की वजह से अमन व सुकून बर्बाद होता है। आए दिन फ़ित्ने और फ़साद जन्म लेते हैं, यहाँ तक कि कभी-कभी मामला क़त्ल-ओ-ख़ूँरेज़ी तक पहुँच जाता है। इन आपसी लड़ाइयों और नफ़रतों से इस्लाम को बहुत बड़ा नुक़सान पहुँचता है।

नबी-ए-ग़ैब-दाँ की पेशीन-गोई

हुज़ूर-ए-अनवर सल्लल्लाहु 'अलैहि वसल्लम को इन तमाम हालात का 'इल्म था और हुज़ूर सल्लल्लाहु 'अलैहि वसल्लम ने इस की ख़बरें इरशाद फ़रमाईं। अजिल्ला आइम्मा-ए-हदीस इमाम अहमद व तिर्मिज़ी व इब्न माजा व अबू दाऊद व ग़ैरहुम ने हज़रत 'इरबाज़ बिन सारिया से एक हदीस रिवायत की है जिस में हुज़ूर-ए-अक़दस सल्लल्लाहु 'अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया:

जो तुम में से ज़िंदा रहेगा वह अनक़रीब बहुत इख़्तिलाफ़ देखेगा।	"مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا"

(मुसनद इमाम अहमद बिन हम्बल 375/280, सुनन तिर्मिज़ी 96/20, अबवाब अल-'इल्म, सुनन अबू दाऊद, किताब अल-सुन्ना 135/20)

इमाम तिर्मिज़ी ने हज़रत 'अब्दुल्लाह बिन 'अम्र से एक हदीस रिवायत की जिस में हुज़ूर-ए-अक़दस सल्लल्लाहु 'अलैहि वसल्लम से ये अल्फ़ाज़ मरवी हैं :

"मेरी उम्मत तिहत्तर (73) फ़िर्क़ों में बँट जाएगी, जिनमें एक के सिवा सब जहन्नमी होंगे।"	"تَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً"

(सुनन तिर्मिज़ी अबवाब अल-ईमान 93/20)

इन अहादीस से और इन के 'इलावा कसीर अहादीस से इस्लाम में फ़िर्के पैदा होने की ख़बरें मिलती हैं और उन की फ़ित्ना-अंगेज़ियों और ख़ूँरेज़ियों की तफ़सीलें भी। मुख़्बिर-ए-सादिक़ सल्लल्लाहु 'अलैहि वसल्लम की ख़बर किस तरह मुमकिन है के दुरुस्त न हो? वाक़िआत बराबर इन ख़बरों की तस्दीक़ करते चले जा रहे हैं।

सहाबा-ए-किराम का तअज्जुब

सद्र-ए-अव्वल में इत्तिहाद-ए-उम्मत और ख़बर-ए-इख़्तिलाफ़ पर सहाबा-ए-किराम रदियल्लाहु तआला 'अन्हुम का तअज्जुब

इस्लाम के 'अहद-ए-अव्वल में जहाँ इस के तमाम हल्क़ा-बगोश एक सदा-ए-हक़ पर लब्बैक कहने और सर-ए-तस्लीम ख़म करने पर ही इकतिफ़ा नहीं कर रहे थे, बल्कि वह हादी-ए-इस्लाम सल्लल्लाहु 'अलैहि वसल्लम के इशारों पर जानें क़ुरबान और सर ब-तमन्ना-ए-फ़िदा करते चले जा रहे थे, उस वक़्त मुसलमान तादाद में ख़्वाह कितने ही हों मगर यक-दिल थे, यक-ज़बान थे, हर दिमाग़ एक ही ख़याल से पुर था, हर दिल में एक ही वलवला और एक ही जोश था, सब का एक ही नस्ब अल-'ऐन था और एक मक़सद के गिर्द वह घूम रहे थे। 'ऐन इस अतम इत्तिहाद की हालत में हुज़ूर-ए-अनवर सल्लल्लाहु 'अलैहि वसल्लम ने इख़्तिलाफ़ की ख़बरें दीं जिन का उस वक़्त तसव्वुर भी न

हो सकता था बल्के बअ'ज़ सहाबा-ए-किराम 'अलैहिम अल-रिदवान को तअज्जुब भी हुआ।

तालिब-ए-हक़ की हैरानी

और अब वह वक़्त आ पहुँचा है जब इस्लाम का दावा करने वाले लोग बहुत से फ़िर्क़ों में बँट गए हैं। हर तरफ़ फ़ितना, बहस और इख़्तिलाफ़ का शोर मचा हुआ है। किसी से भी यह बात छुपी नहीं कि लोगों ने अपने-अपने रास्ते अलग कर लिए हैं।

ऐसे हालात में एक सच्चा हक़ का तालिब यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि वह किस तरफ़ जाए? किसकी बात माने? और किस रास्ते को हक़ समझे?

इन बहुत से झगड़ों, इख़्तिलाफ़ों और मुख़ालिफ़तों के बीच हक़ और बातिल की पहचान करना आसान नहीं रहता। हर तरफ़ अलग-अलग दावे होते हैं, जिससे सच्चाई तलाश करने वाला इंसान उलझन और हैरानी में पड़ जाता है।

ऐसे हालात में अक़्ल भी कई बार परेशान हो जाती है कि सही रास्ता कौन सा है और किसे हक़ माना जाए। इसी वजह से ज़रूरत इस बात की होती है कि इंसान अपनी राय और तअस्सुब से हटकर दलील, हिदायत और अस्ल दीन की बुनियादों को सामने रखकर फ़ैसला करे, ताकि वह फ़ितनों के इस शोर में सही रास्ते से भटक न जाए।

हक़ की तलाश

ऐसे हालात में सरवर-ए-कायनात हुज़ूर-ए-अनवर सल्लल्लाहु 'अलैहि वसल्लम की पहले से दी हुई ख़बरें और आने वाले फ़ितनों की इत्तिलाएँ तालिब-ए-हक़ के लिए बड़ी रहनुमाई का ज़रिया बनती हैं।

ऐसे इब्तिला और फ़ित्ने के वक़्त में तालिब-ए-हक़ के लिए असल रास्ता यही है कि वह अपना "दस्तूर-ए-अमल" उसी सच्चे और सादिक़ रहनुमा से हासिल करे, जो हर ज़माने के हालात से पहले ही आगाह कर चुका है।

यानी हुज़ूर-ए-अनवर सल्लल्लाहु 'अलैहि वसल्लम के मुबारक कलाम की तरफ़ रुजू करे, जिनकी नज़र-ए-अक़्दस के सामने उम्मत के तमाम आने वाले नक़्शे शुरू ही दौर में रोशन कर दिए गए थे। आपने न सिर्फ़ इख़्तिलाफ़ और फ़ितनों की खबर दी, बल्कि उनसे बचने का रास्ता भी बताया।

इसलिए ऐसे वक़्त में हक़ की तलाश करने वाला शख़्स अपनी समझ और बाहरी शोर के बजाय कुरआन और सही अहादीस को अपना मयार बनाए, ताकि वह इस फ़ित्ने के दौर में सही राह पर क़ायम रह सके।

यक़ीनन आज के इस उलझे हुए दौर की परेशानी और हैरानी का सही इलाज उसी दरबार और उसी रहनुमा से मिल सकता है, जो सच्चा और हर हाल से बाख़बर है।

यानी हुज़ूर-ए-अनवर सल्लल्लाहु 'अलैहि वसल्लम की सुन्नत और उनके मुबारक फ़रमानों की तरफ़ रुजू करके ही यह जाना जा सकता है कि फ़िर्क़ों की इस भीड़ में **"जमाअत-ए-हक़"** की पहचान क्या है और उसे किस निशानी से पहचाना जाए।

क्यूँ के इस बा-ख़बर हादी सल्लल्लाहु 'अलैहि व आलिहि वसल्लम को जब इस इख़्तिलाफ़ व इफ्तिराक़ का 'इल्म था और आप सल्लल्लाहु 'अलैहि वसल्लम ने उम्मत को इस से आगाह भी फ़रमाया तो ज़रूर है के जमाअत-ए-हक़्क़ा की ऐसी खुली और ज़ाहिर अलामत भी इरशाद फ़रमा दी हो जिस से हर 'इल्म-ओ-'अक़्ल का शख़्स, हर तालिब-ए-हक़ उस को बे-तरद्दुद पहचान सके और इस में किसी शक-ओ-शुब्हा की कोई गुंजाइश न हो।

हक़ की सही पहचान

जब हम अहादीस-ए-करीमा पर नज़र डालते हैं तो हमें मा'लूम हो जाता है के मुक़द्दस हादी सल्लल्लाहु 'अलैहि वसल्लम ने हमें शब-ए-तार में आवारा फिरने के लिए बे-कसी के पाल नहीं किया, बल्के एक पुर-नूर मश'अल की ज़बरदस्त रोशनी में हमारी दिगरी फ़रमाई और फ़सीह-ओ-सरीह 'इबारत से बता दिया के हक़ पर कौन है? चुनांचा उपर ज़िक्र की हुई पहली हदीस में बयान-ए-इख़्तिलाफ़ के बा'द एक लतीफ़ अंदाज़ में इरशाद फ़रमाया :

जब उम्मत में इख़्तिलाफ़ रू-नुमा हो तो तुम मेरी सुन्नत और ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन मह्दिय्यीन के तरीक़े को लाज़िम जानो, उस के साथ तमस्सुक करो और उस पर मज़बूत गिरिफ़्त रखो और अपने आप को नए कामों से बचाओ, क्यूँ के हर नया तरीक़ा बिद'अत है और हर बिद'अत गुमराही है।	**فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ"**

(सुनन तिर्मिज़ी 20/1099 अबवाब अल-'इल्म, सुनन इब्न माजा बाब मुक़द्दमा बाब अल-नजाह ब-इत्तिबा' किताब अल्लाह 20/1135)

मज़हब-ए-हक़ अहले सुन्नत व जमाअत है

इस हदीस में यह साफ इरशाद है के तुम मेरी सुन्नत और ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन के तरीक़े पर कर बंद रहो तो यही तरीक़ा हक़ हुआ और हुज़ूर सल्लल्लाहु 'अलैहि वसल्लम की सुन्नत के 'आमिल अहले सुन्नत हुए। किस ख़ूबी के साथ वाज़ेह फ़रमा दिया के हक़ मज़हब अहले सुन्नत है, बाक़ी फिरकों की निस्बत इरशाद हुआ के नए पैदा होने वाले फिर्के बिद'अती और गुमराह हैं। अब तालिब-ए-हक़ को तरद्दुद बाक़ी नहीं रहता, वह हर फिर्का को देख कर पहचान सकता है के यह नया फिर्का है और अहले सुन्नत की निस्बत बशारत पा कर मुत्मइन हो जाता है और हस्ब-ए-हिदायत मज़हब-ए-अहले सुन्नत को लाज़िम समझ लेता है।

इसी तरह दूसरी हदीस में भी तिहत्तर फिर्कों का ज़िक्र फ़रमा कर इरशाद फ़रमाया:

(फिर्का-ए-हक़्क़ा वह है) **जो मेरी सुन्नत और मेरे अस्हाब की जमाअत के तरीक़ पर हो।**	**"مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي"**

(सुनन तिर्मिज़ी, अबवाब अल-ईमान, 93/20, मजमा अल-ज़वाइद 189/10)

इस हदीस ने भी साफ़ ज़ाहिर कर दिया के हक़ पर क़ायम जमाअत अहले सुन्नत व जमाअत है। इस हदीस को इमाम अहमद व अबू दाऊद ने हज़रत मुआविया रदियल्लाहु तआला 'अन्हु से रिवायत किया है। इस में यह अल्फ़ाज़ भी हैं:

और एक गिरोह जन्नती है और वह जमाअत है।	"وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ"

(सुनन अबू दाऊद, किताब अल-सुन्ना 131/20, मुसनद अहमद 1102/20)

अब तो बरहक़ गिरोह का पूरा नाम अहले सुन्नत व जमाअत हदीस ने बता दिया।

एक पहचान मस्लके आला हज़रत है

(Maslake Aala Hazrat is Updated Virsion of Ahle Sunnat Wa Jamat)

आज के दौर में अहले सुन्नत व जमात की वाजेह शिनाख्त और पहचान **''मस्लके आला हज़रत''** है, जिसका इस्तेमाल गुस्ताख़ाने रसूल व फिरकाए बातिला से इम्तियाज़ के लिऐ होता है। 14वीं सदी हिजरी में जब फिरकाए बातिला के पैरोकारों ने कुरआन व हदीस की गलत तर्जुमानी की, रसूले अकरम की शाने अकदस में खुली गुस्ताखियां की, ज़रूरयाते दीन से इंकार किया तो सैय्यदना आला हज़रत ईमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत फाजिले बरेलवी रदीअल्लाहु त'आला अन्हु ने जिहाद बिल कलम फ़रमा कर उन दुश्मनाने रसूल की सरकूबी फ़रमाई और अहले सुन्नत व मस्लके आला हज़रत की हिफाजत का बे मिसाल कारनामा अंजाम दिया। यहां तक कि आप का नाम सुन्नी और देवबंदी यूंही और फिरकाए बातिला के बीच वजहें इम्तियाज़ (फर्क) बन गया।

यही वजह है की मौजूदा दौर के ज़माने में मस्लक की निस्बत आला हज़रत की तरफ की जाती है और मस्लके आला हज़रत बोला और लिखा जाता है और कभी एक ही चीज़ के चन्द नाम होते हैं। मस्लन खुद अहले सुन्नत के मुतअद्दिद नाम हैं (मस्लके आला हज़रत) और “मस्लके सवादे आज़म” है तो इस तरह आज के ज़माने में मस्लके अहले सुन्नत व जमात से इसारा होता है,जैसे मूसा अलैहिस्सलाम का लफ़्ज़ हकपरस्त से, फिरऔन का लफ्ज़ बातिलपरस्त से, इसारा होता है। यही वजह है कि आज यह लफ़्ज़ आला हज़रत अहले सुन्नत की पहचान बन चुका है। अगर कोई शख़्स अकीदत से आला हज़रत बोलता है तो सुनने वाले बिला तअम्मुल उसे सुन्नी बरेलवी यकीन कर लेते हैं और लोग समझ जाते हैं कि यह अहले सुन्नत से है और यह उर्फे शरअन महबूब व मकबूल है और हदीस शरीफ में है, जिस काम को मुसलमान अच्छा जानें, वो अल्लाह के नज़दीक भी अच्छा है।

“अल-हासिल आला हज़रत की जात उन बेशबहा दीनी .खिदमात खुसूसन अहकाके हक़ और इबताले बातिल के बाइस सुन्नियत की शिनाख़्त है। इसी लिए उसके हम मस्लक होने का मानी है, सुन्नी होना और मस्लके आला हज़रत का मानी है, मस्लके अहले सुन्नत व जमात लेहाजा हमारे दयार और हिन्द व पाक के अकसर शहरों और इलाकों में मस्लके अहले सुन्नत की पहचान मस्लके आला हज़रत है। ना कि मस्लके आला हज़रत कोई नया या मस्लके अइम्मए अरबआ से अलग कोई पाँचवां मस्लक है।

अज़ : मौलाना मुहम्मद तहसीन रजा कादरी, गंगाघाट, यू.पी.

(इजाफा हिन्दी मुतर्जिम की तरफ से)

मसलके आला हज़रात सलामत रहे

एक पहचान दीने नबी के लिए

मसलके आला हजरत पे कायम रहो

जिंदगी दी गई है इसी के लिए

मियार-ए-हक़ (सवाद-ए-आ'ज़म की पैरवी)

इमाम तिर्मिज़ी ने हज़रत इब्न उमर रदियल्लाहु तआला 'अन्हुमा से रिवायत कि हुज़ूर सल्लल्लाहु 'अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया:

तुम सवाद-ए-आ'ज़म यानी बड़ी जमाअत की पैरवी करो, जो इस से जुदा हुआ जहन्नमी है।	"اتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ فَإِنَّهُ مَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ"

(उसूल फ़ी अहादीस अल-रसूल अल-अस्ल अल-सामिन व अल-समानून 219/10, मुसनद अल-फ़िरदौस 31/20 रक़्म 8116)

इस हदीस में भी साफ इरशाद है कि वह जमाअत जिस पर अक्सर अहल-ए-इस्लाम हैं हक़ पर है। इस पर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल का दस्त-ए-रहमत व करम है और जो अहले सुन्नत व जमाअत से जुदा हुआ जहन्नमी है।

"मिर्क़ात शरह मिश्कात शरीफ़" में इस हदीस की शरह में फ़रमाया:

सवाद-ए-आ'ज़म जमाअत-ए-कसीरा से इबारत है, इस से मुराद वह है जिस पर अक्सर अहल-ए-इस्लाम हैं।	"السَّوَادُ الْأَعْظَمُ يُعَبَّرُ بِهِ عَنِ الْجَمَاعَةِ الْكَثِيرَةِ، وَالْمُرَادُ مَا عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْمُسْلِمِينَ"

(मिर्क़ात अल-मफ़ातीह शरह मिश्कात अल-मसाबीह, किताब अल-ईमान बाब अल-इ'तिसाम बि अल-किताब व अल-सुन्ना 383/1)

अब तो किसी नादान को भी तरद्दुद नहीं रह सकता, हर आक़िल व जाहिल को मालूम हो गया के मज़हब हक़ वह है जिस पर मुसलमानों की बड़ी जमाअत है और वह बिहम्दिल्लाह तआला **अहले सुन्नत व जमाअत** है। जो उन से मुन्हरिफ़ है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन को जहन्नमी फ़रमाया है।

यह तमाम सिहाह सित्ता और कुतुब-ए-मो'तबरा और मो'तमदा की अहादीस हैं। इस मज़मून की ब-कसरत हदीसें कुतुब-ए-हदीस में मौजूद हैं।

शैख़ अब्दुल हक़ मुहद्दिस देहलवी का इरशाद

यह तो साबित हो चुका के फिर्का-ए-नाजिया हक़्क़ा, जमाअत 'आम्मा और महूर-ए-अहल-ए-इस्लाम हैं जिस को अहले सुन्नत व जमाअत कहते हैं और जिन को हदीस शरीफ़ में कहीं सवाद-ए-आ'ज़म और कहीं जमाअत 'आम्मा के अल्फ़ाज़ से ताबीर फ़रमाया गया है।

शैख़ अब्दुल हक़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला 'अलैह *"अशि'अत अल-लम'अत शरह मिश्कात"* में फ़रमाते हैं:

दीन-ए-इस्लाम में सवाद-ए-आ'ज़म अहले सुन्नत व जमाअत हैं, मुन्सिफ़ और तअस्सुब से इज्तिनाब करने वाला इसे जानता है।	"سَوَادِ أَعْظَمُ دَرْ دِينِ إِسْلَامُ مَذْهَبِ أَهْلِ سُنَّتُ وَجَمَاعَتُ هَسْتُ، عَرَفَ ذٰلِكَ مَنْ أَنْصَفَ بِالْإِنْصَافِ وَتَجَنَّبَ عَنِ التَّعَصُّبِ وَالِاعْتِسَافِ"

नीज़ हज़रत शैख़ मुहक़्क़िक़ इसी शरह में फ़रमाते हैं:

मज़ाहिब-ए-अरबा'अ के फ़ुक़हा व ग़ैरहुम जो सिहाह सित्ता के मुसन्निफ़ीन के हम-'अस्र थे, तमाम इसी मज़हब पर हुए। अशाइरा और मातुरीदिय्या जो उसूल-ए-कलाम ('इल्म-ए-'अक़ाइद) के इमाम हैं, उन्होंने भी मज़हब-ए-सलफ़ की तायीद की और दलाइल 'अक़्लिय्या से इस को साबित किया और सुन्नत-ए-रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु 'अलैहि वसल्लम और इजमा'-ए-उम्मत को मुस्तहकम किया, इस लिए उन का नाम अहले सुन्नत व जमाअत वाक़े	"وَأَئِمَّةُ الْفُقَهَاءِ أَرْبَابُ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرُهُمْ أَيْضًا كَانُوا فِي طَبَقَةِ إِيشَانْ بُودَه انْد، هَمَه بَرْ اِينْ مَذْهَبْ بُودَه انْد، وَأَشَاعِرَةُ وَمَاتُرِيدِيَّةُ كَهْ أَئِمَّةُ أُصُولِ الْكَلَامُ انْد، تَأْيِيدِ مَذْهَبِ سَلَفْ نُمُودَه وَبِدَلَائِلِ عَقْلِيَّةٍ أُوسَه ثَابِتْ كَرْدَه مُؤَكَّدْ سَاخْتَه انْد، لِحَاظَا نَامِ

हुआ।	إِيشَانْ أَهْلِ سُنَّتْ وَجَمَاعَتْ اُفْتَادُ"

(अशि'अत अल-लम'अत, किताब अल-ईमान बाब अल-इ'तिसाम बि अल-किताब व अल-सुन्ना 76/10)

और हज़रत शैख़ फ़रमाते हैं:

और मशाइख़-ए-सूफ़िया में से पहले मुहक़्क़िक़ीन जो के तरीक़त के उस्ताद और ज़ाहिद व 'आबिद, दीनी मशक्कतें बरदाश्त करने वाले और साहिब-ए-वर' व परहेज़गार और सिर्फ बारगाह-ए-ख़ुदावंदी में मुतवज्जिह रहने वाले और अपने नफ़्सानी हौल-ओ-क़ुव्वत से अलग इख़्तियार किए हुए थे, सब इसी अहले सुन्नत व जमाअत के मज़हब पर हुए हैं, जैसा के उन की मो'तमद कुतुब से मा'लूम हो जाता है और आइम्मा-ए-सूफ़िया की मो'तमद तरीन कुतुब में से "तआरुफ" में है.'अक़ाइद-ए-सूफ़िया के जिन पर जुमला सूफ़िया का इजमा' व इत्तिफ़ाक़ है यही 'अक़ाइद-ए-अहले सुन्नत व जमाअत हैं बग़ैर किसी कमी बेशी के।	"وَمَشَائِخُ الصُّوفِيَّةِ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُحَقِّقِينَ، إِيشَانْ كِهْ أُسْتَادَانِ طَرِيقَتْ وَزُهَّادُ وَعُبَّادُ وَمُرْتَاضْ وَمُتَوَرِّعْ وَمُتَّقِي وَمُتَوَجِّهْ بِجَانِبِ حَقْ وَمُتَبَرِّي أَزْ حَوْلُ وَقُوَّتِ نَفْسْ بُودَه أَنْد، هَمَه بَرْ اِينْ مَذْهَبْ بُودَه أَنْد، چُنَانْچِهْ أَزْ كُتُبِ مُعْتَمَدَهِ إِيشَانْ مَعْلُومْ كَرْدَه شُد، دَرْ تَعَارُفْ كِهْ مُعْتَمَدْ تَرِينْ كِتَابْهَايِ اِينْ قَوْمْ أَسْتْ عَقَائِدِ صُوفِيَّهْ كِهْ إِجْمَاعْ دَارَنْد بَرْ آنْ آوَرْدَه كِهْ هَمَه عَقَائِدِ أَهْلِ سُنَّتْ وَجَمَاعَتْ أَسْتْ، أُوسَهْ زِيَادَتْ وَنُقْصَانْ"

(मरजा' साबिक़)

(अशि'अत अल-लम'अत, किताब अल-ईमान बाब अल-इ'तिसाम बि अल-किताब व अल-सुन्ना 76/10)

बाब 2

जमाअत-ए-अहले सुन्नत से अलहदगी इख्तियार करने वाले का हुक्म दोज़खी

तिर्मिज़ी में एक हदीस शरीफ़ में है जिस में इरशाद फ़रमाया:

अल्लाह तआला का दस्त-ए-रहमत जमाअत पर है, जो इस से अलग हुआ वह जहन्नमी है।	"يَدُ اللّٰهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إِلَى النَّارِ"

(सुनन तिर्मिज़ी, अबवाब अल-फ़ितन, बाब फ़ी लुज़ूम अल-जमाअह 139/20, कंज़ अल-उम्माल अल-हिन्दी 140/48, रक़म 37901)

जमाअत-ए-अहले सुन्नत से अलहदा होने वाला ही शैतान का शिकार है। इमाम अहमद ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रदियल्लाहु तआला 'अन्हु से रिवायत की:

बेशक शैतान इन्सान का भेड़िया है जैसे भेड़िये का भेड़ों के साथ मामला है (वह) जो भेड़ अकेली होती है और (झुंड से) जुदा हो जाती है उसे पकड़ लेता है। इसलिए तुम अकेले होने और (जमाअत से) अलग होने से बचते रहो और जमाअत व आम्मा (बड़ी जमाअत) से वाबस्ता रहो।	"إِنَّ الشَّيْطَانَ ذِئْبُ الْإِنْسَانِ كَذِئْبِ الْغَنَمِ، يَأْخُذُ الشَّاةَ الْقَاصِيَةَ وَالنَّاحِيَةَ، وَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ، وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ"

(मुसनद अहमद बिन हम्बल 233/5, रक़म 221600)

शैतान इंसान के लिए उसी तरह घात लगाए रहता है, जैसे भेड़िया बकरी के लिए रहता है। भेड़िया हमेशा उसी बकरी को पकड़ता है जो झुंड से अलग

हो जाए, दूर निकल जाए या अकेली रह जाए। इसी तरह शैतान भी उस इंसान को आसानी से गुमराह करता है जो जमाअत से कट जाए और अकेला रास्ता अपनाए।

कुरआन मे अल्लाह तअला का फ़रमान है

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

तर्जुमा : "**और सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से थाम लो और आपस में फूट न डालो।" (**सूरह इमरान, आयत 103)

इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि वे फ़िर्क़ाबंदी, तन्हाई और गुमराही के रास्तों से बचें, और जमाअत तथा जुमहूर-ए-अहल-ए-इस्लाम के साथ जुड़े रहें। यही तरीका इंसान को फ़ितनों और शैतान के धोखे से महफ़ूज़ रखता है।

इस हदीस शरीफ़ में निहायत बलाग़त के साथ इरशाद फ़रमाया के शैतान की दस्त-बरद और उस के हमला का शिकार वह लोग हैं जो जमाअत व जुमहूर से मुन्हरिफ़ हों और 'आम शाहराह छोड़ कर छोटी छोटी घाटियाँ इख्तियार करें।

अब तो हक़ व बातिल में काफ़ी तफ़र्रुक़ हो गया, हर 'आमी शख़्स भी यह देख सकता है के कसीरा और जुमहूर का क्या मतलब है और कौन सा फिर्का इस से मुन्हरिफ़ है? जो इस से मुन्हरिफ़ हो उस को शैतान का शिकार समझे। अब इस तरद्दुद का मौक़ा बिल्कुल बाक़ी नहीं रहा के हर फिर्का अपने आप को हक़ पर बताता है, वह बताया करे लेकिन जब जुमहूर उस के साथ नहीं, वह जुमहूर की मुख़ालिफ़त कर के पैदा हुआ तो ज़रूर हुज़ूर सल्लल्लाहु 'अलैहि वसल्लम के हस्ब-ए-इरशाद वह बातिल पर है। यह सब कुछ मुहताज-ए-दलील-ओ-बुरहान नहीं के जमाअत 'आम्मा और जुमहूर किस तरफ़ हैं। दावेदारान-ए-इस्लाम शिया, ग़ैर मुक़ल्लिदीन, देवबंदी, वहाबी, और क़ादियानी व ग़ैरहुम के तमाम फिर्कों का मजमूआ भी अहले सुन्नत व जमाअत कसरहुमुल्लाह तआला से बदर्जा-ए-कम है तो यक़ीनन वह सब बातिल पर हैं और अहले सुन्नत व जमाअत बर-सर-ए-हक़ और नाजी

- **वलिल्लाहिल हम्द।**

जमाअत-ए-अहले सुन्नत से निकलने वाले का शर'ई हुक्म

इमाम अहमद व अबू दाऊद ने ब-रिवायत हज़रत अबू ज़र्र रदियल्लाहु तआला 'अन्हु एक हदीस रिवायत फ़रमाई जिस के अल्फ़ाज़ यह हैं:

जिस शख़्स ने जमाअत से एक बालिश्त भर जुदाई की उस ने इस्लाम का हल्क़ा अपनी गर्दन से निकाल दिया।	"قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ"

(मुसनद अहमद बिन हम्बल 180/50, रक़्म 216010, सुनन अबू दाऊद, किताब अल-सुन्ना, बाब फ़ी क़त्ल अल-ख़वारिज 255/20)

जब यह मुहक़्क़क़ (साबित) हो गया के हुज़ूर-ए-पुर-नूर-रसीद 'आलम सल्लल्लाहु 'अलैहि वसल्लम की तसरीहात मज़हब-ए-अहले सुन्नत व जमाअत को फिर्क़ा-ए-नाजिया क़रार देती हैं तो अब उन लोगों का हुक्म भी मा'लूम करना चाहिए जो अहले सुन्नत से मुन्हरिफ़ (हट जाने वाला) हैं।

इस हदीस में यही हुक्म बयान किया गया है और साफ़ बता दिया गया है के जो इस नाजी (निज़ात पाने वाला) गिरोह अहले सुन्नत से जुदा हुआ उस ने अपनी गर्दन से इस्लाम का हल्क़ा निकाल डाला, तो वह शख़्स और वह गिरोह जो मज़हब-ए-अहले सुन्नत से मुतजाविज़ (हद से आगे बढ़ जाने वाला) हो, इस्लाम का बाग़ी और दीन का मुजरिम और सरवर-ए-'आलम सल्लल्लाहु तआला 'अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक़ अपनी गर्दन से इस्लाम का हल्क़ा निकाल डालने वाला है।

एक बड़ी रस्सी में बहुत से हल्क़े बना कर हर एक हल्क़ा एक बकरी के गले में डाल देते हैं जिस से वह तमाम बकरियाँ मुजतमा रहती हैं। इस हल्क़े को 'अरबी ज़बान में रिब्क़ा कहते हैं। अब गले से रिब्क़ा निकालने का मतलब साफ़ समझ में आ गया के वह हल्क़ा जिस के गले में डालने से इस्लाम का शीराज़ा व इजतिमा' उस्तवार रहे, उस को निकाल डालने वाला अपने आप को इस इजतिमा' से जुदा करता है।

बाब 3

अहले सुन्नत का दूसरे फिर्कों के साथ इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़ सख़्त ख़तरनाक है

यह बात क़ाबिल-ए-लिहाज़ है के ताइफ़ा-ए-नाजिया हक़्क़ा अहले सुन्नत व जमाअत को दूसरे फिर्कों के साथ क्या सुलूक करना चाहिए और इस की निस्बत हुज़ूर-ए-अक़दस सल्लल्लाहु 'अलैहि वसल्लम का क्या इरशाद है?

मुस्लिम शरीफ़ में हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला 'अन्हु से रिवायत है:

हुज़ूर सल्लल्लाहु 'अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: आख़िर ज़माने में बहुत से झूठे फ़रेबी होंगे जो तुम्हारे पास वह बातें लाएँगे के तुम ने सुनी न तुम्हारे, अब्बा ने तुम अपने आप को उन से बचाओ और उन से दूर रहो, कहीं वह तुम्हें गुमराह न कर दें और फितना में न डाल दें।	"قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ، يَأْتُونَكُمْ مِنَ الْأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ"

(सहीह मुस्लिम 10/1, बाब अल-नह्य 'अन अल-रिवायह मिन अल-दुआफ़ा, कंज़ अल-उम्माल अल-हिन्दी 193/100, रक़म 29023

इस हदीस से मालूम हुआ के बातिल फिर्कों के साथ रब्त-ओ-ज़ब्त, मेल-जोल, इरतिबात व इत्तिहाद मम्नू' और बाइस-ए-फितना है, उन से बचने और अलहदा रहने का हुक़्म फरमाया गया है।

ईमान का कोई दर्जा नही है

हज़रत इब्न मसऊद रदियल्लाहु तआला 'अन्हु से मरवी है :

हुज़ूर-ए-अनवर सल्लल्लाहु 'अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया के हर एक नबी जिन को अल्लाह तआला ने मुझ से पहले उन की उम्मत में मबऊस फरमाया, उन की उम्मत में उन के मुख़्लिसीन और नासिरीन होते थे और ऐसे अस्हाब होते थे जो उन की सुन्नत के साथ तमस्सुक और उन के हुक़्म की इताअत करते थे। फिर उन के बाद ऐसे नालाइक़ लोग पैदा हुए के जिन का क़ौल व 'अमल मुताबिक़ नहीं होता था और वह करते थे जिस का अम्र नहीं किए जाते थे (जैसा के तमाम बातिल फिर्के करते हैं)। तो जो उन के ख़िलाफ़ अपने हाथों से जिहाद करे वह मो'मिन है, और जो अपनी ज़बान से जिहाद करे वह मो'मिन है, और जो अपने क़ल्ब से जिहाद करे वह मो'मिन है, और इस के सिवा राई के दाने के बराबर भी ईमान का कोई दर्जा नहीं है।	**"قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّتِهِ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَوَرَاءَ ذٰلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ"**

(सहीह मुस्लिम 52, किताब अल-ईमान, बब कौन अल-नह्य 'अन अल-मुनकर मिन अल-ईमान।)

मुराद यह के जो क़ौम बिगड़ जाएँ और तालीम-ए-अम्बिया से मुन्हरिफ़ हों और उन के ख़िलाफ़ राह इख्तियार करें, मो'मिन का फ़र्ज़ है के उन के

मफ़ासिद को हाथ से रोके, ज़बान से मना' करे, दिल से बुरा जाने, चाहे जो मेल-जोल, रब्त-ओ-ज़ब्त, इत्तिहाद-ओ-वदाद हो।

अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी किताब-ए-हकीम में इरशाद फ़रमाया:

तर्जुमा: **ऐ ईमान वालो! मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त न बनाओ।** *(सूरह अल-मुम्तहिना, आयत 1)*	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ

अल्लाह तआला मज़ीद फ़रमाता है:

तर्जुमा: **और तुम में जो उनसे दोस्ती करे वह उन्हीं में से है।** *(सूरह अल-माइदा, पारा 6, आयत 51)*	وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ

बद-मज़हब के साथ दोस्ती जायज़ नहीं

तिर्मिज़ी व अबू दाऊद में ब-रिवायत अबू सईद मरवी है के हुज़ूर-ए-अक़दस सल्लल्लाहु 'अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया:

हम-निशीनी न कर मगर मो'मिन-ए-कामिल के साथ और तेरा खाना न खाए मगर परहेज़गार।	"لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ"

(सुनन तिर्मिज़ी 20/65, सुनन अबू दाऊद 664/20)

बद-मज़हब को खाना न दिया

हिकायत : हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर-ए-ख़िलाफ़त था। आप मस्जिद-ए-नबवी से नमाज़ पढ़कर तशरीफ़ ले जा रहे थे। रास्ते में एक मुसाफ़िर ने खाना माँगा। अमीरुल-मोमिनीन उसे अपने साथ ले आए।

ख़ादिम ने हुक्म के मुताबिक़ खाना हाज़िर किया। इत्तिफ़ाक़ से खाते-खाते उस मुसाफ़िर की ज़ुबान से एक बद-मज़हबी बात निकल गई। यह सुनते ही हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़ौरन उसके सामने से खाना उठवा लिया और ख़ादिम को हुक्म दिया:

"इसे यहाँ से निकाल दो।"

(अल-मलफ़ूज़, हिस्सा अव्वल, सफ़्हा 110)

बद-मज़हबों से मेल-जोल रखना अख़लाक नहीं है

इस वाक़िये से मालूम हुआ कि बद-मज़हबों के साथ बे-तकल्लुफ़ मेल-जोल रखना, उनके ग़लत अक़ाइद को नज़रअंदाज़ करना और इसे "अख़लाक" का नाम देना, अहल-ए-हक़ का तरीका नहीं। असल अख़लाक वही है जो दीन और अक़ीदे की हिफ़ाज़त के साथ हो। इसी लिए बुज़ुर्गान-ए-दीन अक़ीदे के मामले में बड़ी एहतियात फ़रमाते थे और बद-अक़ीदा लोगों से दूरी इख़्तियार करते थे।

दोस्त के दीन पर होता

अहमद, तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, बैहक़ी ने हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला 'अन्हु से रिवायत की के हुज़ूर-ए-अक़दस सल्लल्लाहु 'अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया:

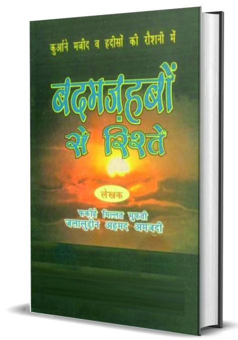
आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, तो तुम्हें देखना चाहिए के तुम किस से दोस्ती करते हो।	"الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ"

(किताब अल-अदब अल-मुफ़रद, इब्न मेहरान मजालिस, सुनन तिर्मिज़ी अबवाब अल-ज़ुहद 63/20, मुसनद 3/31, शुआब अल-ईमान बैहक़ी 55/70, रक़म 109338)

यानी उस के दीन-ओ-मज़हब में कोई ख़लल-ओ-नुक़सान तो नहीं? मालूम हुआ के दोस्त बनाने के लिए देख लेना चाहिए के वह शख्स खुदा का मग़ज़ूब और बद-मज़हब व बद-दीन न हो, उस के साथ तो दोस्ती जायज़ नहीं।

और मो'मिन-ए-कामिल अल-ईमान के साथ उन्स-ओ-मुहब्बत व हमदर्दी व ग़म-ख़्वारी व ई'आनत वाहिद ज़रूरी है और इसी से मुसलमानों को दूसरों के मुक़ाबिल क़ुव्वत व शौकत हासिल हो सकती है।

तफ़सीली मालूमात के लिए इस किताब को पढ़े



बदमज़बों से रिश्ते

Click PDF to DOWNLOAD

बाब 4

अहले सुन्नत व जमाअत के आपसी हुक़ूक़

जब यह मालूम हो चुका के हक़ पर क़ायम व निजात पाने वाली जमाअत अहले सुन्नत व जमाअत जो सवाद-ए-आ'ज़म है (मसलके आला हज़रत), उस को बातिल फिर्कों के साथ मेल-जोल और इत्तिहाद की ज़रूरत नहीं, तो अब यह मालूम करना भी ज़रूरी है के उन्हें बाहम एक दूसरे के साथ कैसा सुलूक करना चाहिए?

कुरआन में अल्लाह त'आला का फ़रमान है

तर्जुमा : मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और उनके साथ वाले यानी सहाबा काफ़िरों पर सख़्त हैं और आपस में नर्म दिल । (सूरह फत्ह, आयत नं. 29)	مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

इस आयत से पता चला की साहबा का तरीका सिर्फ आपस मे नर्मी , इत्तेहाद, मुहब्बत और मेल जोल वाली थी

और काफ़िरों से सख़्ती, बेज़ारी, नफ़रत, जेहाद और रद्द करते थे ।

आज जरूरत है असहाब के तरीके पर हमें हुकूक की अदाइगी करने की जैसा की कुरआन में हुक्म है :

"जो अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान रखते हैं, तुम उन लोगों को ऐसा नहीं पाओगे कि वे उन लोगों से मोहब्बत रखें जो अल्लाह और उसके रसूल की मुख़ालफ़त करते हैं (बातिल फ़िरके), चाहे वे उनके बाप हों, या बेटे, या भाई, या उनके रिश्तेदार। यही वे लोग हैं जिनके	لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ

दिलों में अल्लाह ने ईमान लिख दिया है और अपनी तरफ़ से रूह के ज़रिए उनकी मदद फ़रमाई है। और वह उन्हें ऐसी जन्नतों में दाख़िल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं, वे उनमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह उनसे राज़ी हुआ और वे अल्लाह से राज़ी हुए। यही लोग अल्लाह की जमाअत हैं। सुन लो! बेशक अल्लाह की जमाअत ही कामयाब होने वाली है।" *(सूरह अल-मुजादिला, आयत 22)*	**جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ**

दीनी दुश्मन की पहचान

अमीरुल- मुमिनीन मौला अली कर्रमल्लाहु त'आला वज्हहुल करीम फरमाते हैं दुश्मन तीन हैं।

1. एक तेरा दुश्मन ।
2. एक तेरे दोस्त का दुश्मन ।
3. एक तेरे दुश्मन का दोस्त

यूं ही अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के दुश्मन तीनों किस्म हैं।

1. एक तो इब्तिदाअन उसके दुश्मन, वह काफिराने असली हैं।
2. दूसरे वह कि महबूबाने खुदा के दुशमन हैं, जैसे देवबन्दी, मिर्जाई, वहाबी, रवाफिज़।
3. तीसरे वह कि उन दुश्मनों जैसे देवबन्दी, मिर्जाई, वहाबी के दोस्त हैं यानी सुलहकुल्ली और मौलाई यह सब अल्लाह के दुश्मन हैं।

दुश्मने जान से कहीं बदतर है, दुश्मन दीन का
उनके दुश्मन से कभी उनका गदा मिलता नही

कामिल ईमान, बतीनी और ज़ाहिरी इस्लाह का जरिया

नबी-ए-अकरम ने इरशाद फ़रमाया:

हदीस : (तर्जुमा) “जो अल्लाह पाक के लिए मोहब्बत करे, और अल्लाह पाक के लिए दुश्मनी रखे, और अल्लाह पाक के लिए अता करे, और अल्लाह पाक के लिए रोके, तो उस शख्स ने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया।” (सुनन अबू दाऊद, हदीस नंबर 4681)

अल्लाह के लिए मुहब्बत व अदावत का मतलब

अल्लाह के लिए मुहब्बत का मतलब यह है कि किसी से इस लिए मुहब्बत की जाए कि वह दीनदार है, और अल्लाह के लिए अदावत का मतलब यह है कि किसी से अदावत हो तो इस बुनियाद पर हो कि वह दीन का दुश्मन है या दीनदार नहीं। इसी तरह अल्लाह के लिए देने और मना करने का भी मतलब यह है कि किसी को कुछ दे तो उससे अल्लाह की रज़ा मक़सूद हो, और किसी को कुछ देने से इंकार करे तो उससे भी अल्लाह की ख़ुशनूदी मक़सूद हो। (नुजहतूल कारी शरह बुखारी, जिल्द 1, पेज 254)

अहले सुन्नत का बाहमी मज़बूत इत्तिहाद

बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत नुमान बिन बशीर से मरवी है के हुज़ूर सल्लल्लाहु 'अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया:

तर्जुमा : तुम मोमिनीन को देखोगे के बाहमी रहम और मुहब्बत व मेहरबानी में उन का हाल एक जिस्म की तरह है के जब उस का एक उज़्व बीमार हो तो तमाम बदन बे-ख़्वाबी और बुख़ार के साथ उस का फ़रयादी हो जाता है।	"تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى"

(सहीह बुख़ारी 2/889 किताब अल-अदब, बाब रहमत अल-नास व अल-बहाइम, सहीह मुस्लिम 321/20 किताब अल-बिर्र व अल-सिला बाब तराहुम अल-मो'मिनीन, मुसनद अहमद 10270/30)

यानी किसी एक हिस्सा की तकलीफ़ से तमाम बदन तकलीफ़ महसूस करता है और हर एक उज़्व उस की बेचैनी से बेचैन हो जाता है। इसी तरह से मोमिनीन का हाल होना चाहिए के वह एक की तकलीफ़ से बेचैन हो जाएँ और उन में कोई किसी के सदमे और नुक़सान को बर्दाश्त न कर सके।

हज़रत नुमान बिन बशीर रदियल्लाहु तआला 'अन्हु ही से दूसरी हदीस मुस्लिम शरीफ़ में ब-अयन अल्फ़ाज़ मरवी है के हुज़ूर-ए-अक़दस सल्लल्लाहु 'अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया:

तर्जुमा : मोमिन एक मर्द की तरह हैं के अगर उस की आँख दुखे तो तमाम बदन दुख जाए और अगर सर दुखे तो तमाम बदन दुख जाए।	**"الْمُسْلِمُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ، إِنِ اشْتَكَى عَيْنُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ، وَإِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ"**

(सहीह मुस्लिम 321/20, किताब अल-बिर्र व अल-सिला, बाब तराहुम अल-मो'मिनीन, मुसनद अहमद बिन हम्बल 1276/8)

बुख़ारी व मुस्लिम में एक और हदीस हज़रत अबू मूसा रदियल्लाहु तआला 'अन्हु से मरवी है के हुज़ूर-ए-पुर-नूर सल्लल्लाहु तआला 'अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया:

तर्जुमा : एक मोमिन का दूसरे मोमिन के साथ वह अलाक़ा है जैसे एक इमारत..के अज्ज़ा का के उन में से एक जुज़ दूसरे को मदद पहुँचाता है और हर एक को दूसरे से इस्तिहकाम पहुँचता है।	**"الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا، ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ"**

फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु 'अलैहि वसल्लम ने अपने दस्त-ए-मुबारक की अंगुष्ट-हाए-मुबारक को दूसरे दस्त-ए-अक़दस की अंगुष्ट-हाए-मुबारक में दाखिल फ़रमा कर मोमिनीन के बाहमी तआवुन और तआज़ुद की तमसील फ़रमाई।

(सहीह बुख़ारी 890/20, किताब अल-अदब, बाब तआवुन अल-मो'मिनीन बअ्दुहुम बअ्दन, सहीह मुस्लिम 321/20, किताब अल-बिर्र व अल-सिला, बाब तराहुम अल-मो'मिनीन, सुनन नसाई 275/10, किताब अल-ज़काह, बाब अज्र अल-ख़ाज़िन)

मुहब्बत व मवद्दत आपसी

हज़रत अनस रदियल्लाहु तआला 'अन्हु से मरवी है के हुज़ूर-ए-अनवर सल्लल्लाहु 'अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया:

उस ज़ात की क़सम! जिस के दस्त-ए-क़ुदरत में मेरी जान है, कोई बंदा मो'मिन-ए-कामिल नहीं होता जब तक के अपने भाई (मुसलमान) के लिए वही पसंद न करे जो अपने लिए पसंद करता है।	"وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ"

(सहीह मुस्लिम 50/10, किताब अल-ईमान, बाब अल-दलील 'अला अन्ना मिन ख़िसाल अल-ईमान, सुनन नसाई 232/20, किताब अल-ईमान व शराइ'इह, बाब 'अलामत अल-ईमान, सुनन तिर्मिज़ी 78/20, अबवाब सिफ़त अल-क़ियामा)

जो ख़ुद के लिए पसंद न करे दूसरे के लिए भी पसंद मत कर।	"آنْ چِهْ أَزْ بَهْرِ خُودْ نَپَسَنْدِي، نِيزْ أَزْ بَهْرِ دِيگَرِي مَپَسَنْدْ"

बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु तआला 'अन्हु से मरवी है के हुज़ूर-ए-अक़दस सल्लल्लाहु 'अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया:

आदमी के लिए अपने भाई (मुसलमान) को तीन रोज़ से ज़्यादा छोड़ना (और उस से सलाम, मेल-जोल तर्क करना) हलाल नहीं, के दोनों मिलें तो एक तरफ़ एक मुँह फेर ले, दूसरी तरफ़ दूसरा मुँह फेर ले, और इन दोनों में बेहतर वह है जो पहले सलाम करे।	"لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هٰذَا وَيُعْرِضُ هٰذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ"

(सहीह बुख़ारी 2/89 किताब अल-अदब, बाब अल-हज्र, सहीह मुस्लिम 2/31 किताब अल-बिर्र व अल-सिला, बाब तहरीम अल-हज्र, मजमा अल-ज़वाइद 1381/7, रक़्म 139990)

इन तमाम अहादीस में मो'मिन, मुस्लिम, रजुल, अख़ से मुराद वही मो'मिन-ए-कामिल है जो किसी बातिल 'अक़ीदा या मज़हब का गिरफ़्तार हो कर ताइफ़ा-ए-नाजिया से ख़ारिज नहीं हो गया, क्यूँ के उस के साथ तो मुहब्बत व मवद्दत के तअल्लुक़ात जायज़ ही नहीं।

अहले सुन्नत का इत्तिहाद एक ज़रूरी ज़रूरत

तमाम 'आलम-ए-इस्लाम और कुल सवाद-ए-आ'ज़म अहले सुन्नत एक दिल, एक ज़बान हों और हर एक का दिल दूसरे की मुहब्बत से भरा हुआ हो, हर एक दूसरे की बेहबूद और राहत से मसरूर और उस के रंज-ओ-कल्फ़त से महज़ून व बेचैन हो, दूसरे के दर्द-ओ-तकलीफ़ को अपने सदमा की तरह महसूस करे, अग़यार से बे-तअल्लुक़ रहे तो इस्लाम की शौकत ज़ाहिर हो। चंद बद-मज़हबों को छोड़ देने से मुसलमानों के अज़ीम अल-शान इजतिमा' और क़ुव्वत में कोई फ़र्क़ नहीं आ सकता, बल्के उन से मेल-जोल ही हज़ार हा फ़ित्नों और मुसीबतों का दरवाज़ा खोलता है। यही दीन की तालीम और यही हुज़ूर सल्लल्लाहु 'अलैहि वसल्लम का इरशाद है।

ऐसे ज़राइ पैदा किए जाएँ के मुसलमानों के ख़यालात आपस में मुवाफ़िक़ हों और उन के दिमाग़ एक ही तरह की मा'लूमात से पुर हों। अगर एक मशरिक़ में है और एक मग़रिब में और उन के माबैन बहुत बड़ा बु'द-ए-मकान है तो हरज नहीं, मगर बु'द-ए-ख़याल न होना चाहिए।

ज़रूरी, बेहद ज़रूरी!

ज़रूरी है के मुसलमान बद-मज़हबों की तमाम तहरीरों के देखने से इज्तिनाब करें, और अपनी मा'लूमात वसी' करने और सवाद-ए-आ'ज़म में एक रब्त-ओ-ता'अल्लुक़ हासिल करने और क़ायम रखने के लिए अहले सुन्नत की किताबों, रसालों, अख़बारों का मुताला' ज़रूरी समझें। के जितने मुसलमान अहले सुन्नत की किताबों, रसालों के देखने वाले होंगे वह सब 'अक़ीदे और

ख़याल में मुत्तहिद व मुत्तफ़िक़ होंगे, और हर मौक़ा पर उन में से एक की आवाज़ दूसरे के मुवाफ़िक़ उठेगी और उस को मदद पहुँचाएगी।

बद मजहबों से कुरआनो हदीस सुनना पसन्द न किया

हिकायत : जलीलुश्शान ताबई मुहम्मद बिन सीरीन रज़ियल्लाहु की मजलिस में दो बद-मज़हब लोग आकर अर्ज़ करने लगे: “हम आपके सामने एक हदीस बयान करना चाहते हैं।”

हज़रत मुहम्मद बिन सीरीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया:
“मैं तुमसे (हदीस शरीफ़) सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ।”

उन दोनों बद-अक़ीदों ने कहा:
“अगर इजाज़त हो तो हम कुरआन शरीफ़ की कोई आयत पढ़ दें?”

जलीलुल-क़द्र ताबई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया:
“मैं तुमसे कुरआन शरीफ़ भी नहीं सुनना चाहता।”
और फ़रमाया:
“या तो तुम लोग मेरे पास से चले जाओ, वरना मैं यहाँ से चला जाता हूँ।”

चुनाँचे, वे दोनों बद-अक़ीदा लोग उठकर चले गए।

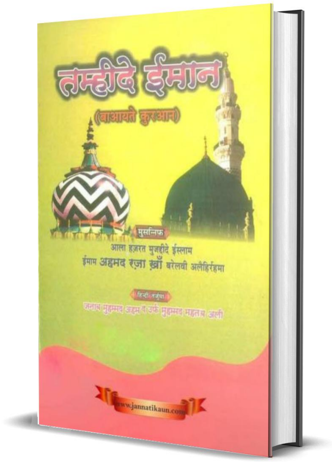
फिर हाज़िरीन में से किसी ने अर्ज़ किया:
“हज़रत! अगर वह बद-अक़ीदा कुरआन-ए-मजीद की कोई आयत पढ़ता, तो उसे सुन लेने में आपका क्या नुक़सान था?”

मशहूर ताबई मुहम्मद बिन सीरीन रज़ियल्लाहु ने फ़रमाया:

“मुझे ख़ौफ़ हुआ कि वह बद-अक़ीदा कुरआन शरीफ़ की आयत पढ़कर उसके मअना में कुछ रद्दो-बदल कर देता, और वही ग़लत मअना मेरे दिल में बैठ जाता, (और मआज़ल्लाह तआला मेरा अक़ीदा बिगड़ जाता और ईमान ख़राब हो जाता)। इसी वजह से मैंने उस बद-अक़ीदा से कुरआन-ए-मजीद और हदीस शरीफ़ सुनना पसंद नहीं किया।”

(दारमी शरीफ, बहवाला सवानेह आला हजरत, स. 117)

आला हज़रत की लिखी हुई
इस रिसाले को पढ़ना ना भूले



तम्हीद-ए-ईमान

(मौज़ू : रद्दे सुलहकूली, बदमज़हब और रद्दे बातिला)

मुसन्निफ़ : इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल-ए-बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैह

Click PDF to DOWNLOAD

आला हज़रत की वसीयत

इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल-ए-बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैह ने फ़रमाया:

“प्यारे भाइयो! मुझे मालूम नहीं कि मैं कितने दिन तुम्हारे बीच ठहरूँगा। इंसान की ज़िन्दगी में तीन ही दौर होते हैं: बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बचपन गया तो जवानी आई, जवानी गई तो बुढ़ापा आया। अब कौन-सा चौथा दौर आने वाला है जिसका इंतिज़ार किया जाए? अब तो सिर्फ़ मौत बाक़ी है।

अल्लाह तआला क़ादिर है कि ऐसी हज़ार मजलिसें अता फ़रमाए और तुम सब लोग मौजूद हो और मैं तुम्हें सुनाता रहूँ, मगर बज़ाहिर इसकी उम्मीद नहीं।

ऐ लोगो! तुम प्यारे मुस्तफ़ा की भोली भेड़ें हो और भेड़िये तुम्हारे चारों तरफ़ हैं। वे चाहते हैं कि तुम्हें बहकाएँ, फ़ितने में डाल दें और अपने साथ जहन्नम में ले जाएँ। इनसे बचो और इनसे दूर भागो। देवबंदी, वहाबी, नैचरी, राफ़िज़ी, क़ादियानी, चकड़ालवी वग़ैरह – ये सब फ़िर्क़े भेड़िये हैं। ये तुम्हारे ईमान के दुश्मन हैं। इनके हमलों से अपने ईमान की हिफ़ाज़त करो।

हुज़ूर-ए-अकदस रब्बुल इज़्ज़त के नूर हैं। हुज़ूर से सहाबा-ए-किराम रौशन हुए, सहाबा से ताबईन रौशन हुए, ताबईन से तबअ-ताबईन रौशन हुए, उनसे आइम्मा-ए-मुज्तहिदीन रौशन हुए, और उनसे हम रौशन हुए। अब हम तुमसे कहते हैं कि यह नूर हमसे ले लो।

वह नूर यह है कि अल्लाह और उसके रसूल ﷺ की सच्ची मुहब्बत, उनकी ताज़ीम, उनके दोस्तों की ख़िदमत और तकरीम, और उनके दुश्मनों से सच्ची अदावत रखो।

जिस शख़्स में अल्लाह और रसूल ﷺ की शान में अदना-सी तौहीन पाओ, फिर वह तुम्हारा कितना ही प्यारा क्यों न हो, फ़ौरन उससे अलग हो जाओ। और जिसे बारगाह-ए-रिसालत में ज़रा भी गुस्ताख़ पाओ, फिर वह कितना ही बड़ा बुज़ुर्ग क्यों न हो, उसे अपने दिल से दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंको।

मैं पौने चौदह बरस की उम्र से यही बताता रहा हूँ और इस वक़्त भी यही अर्ज़ करता हूँ। अल्लाह तआला अपने दीन की हिमायत के लिए ज़रूर किसी बंदे को खड़ा कर देगा, मगर नहीं मालूम कि मेरे बाद आने वाला कैसा हो और तुम्हें क्या बताए। इसलिए इन बातों को अच्छी तरह सुन लो। हुज्जतुल्लाह क़ायम हो चुकी। अब मैं क़ब्र से उठकर तुम्हें बताने नहीं आऊँगा।

जिसने इसे सुना और माना, क़ियामत के दिन उसके लिए नूर और निजात है, और जिसने न माना उसके लिए ज़ुल्मत और हलाकत है (सवानहे आला हज़रत, पेज 146-147)

नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा करदे।

पिदर, मादर, बिरादर, जान व माल उन पर फिदा करदे।

सुन्नी बनों

सुल्हे कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों
सुन्नी मुस्लिम हैं सच्चा नबी के लिए

(सुन्नियों के अक़ाइद की पहचान के लिए 20 शर्तें)

सुन्नियत की सनद और आला हज़रत का मेयार

सोशल मीडिया के इस दौर में लोग अक्सर दूसरों के नज़रिए के मुताबिक़ "सुन्नी" होने का सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं। मगर आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में लोग बाक़ायदा उनसे सुन्नियत की तहरीरी सनद हासिल किया करते थे।

आला हज़रत का तरीक़ा यह था कि जब कोई शख़्स अपनी सुन्नियत की सनद तलब करता, तो फ़क़ीर उसे लिख भेजते: "इन बीस शर्तों पर अमल करो, तब मैं तुम्हारे सुन्नी होने की सनद जारी कर दूंगा।"

लिहाज़ा मैं भी वही बीस शराइत आपके सामने रख रहा हूँ। जिसने बेतकल्लुफ़ी से इन्हें क़ुबूल करके दस्तख़त कर दिए, उसका सुन्नी होना साबित हो गया। सिर्फ़ ज़बानी दावे से कोई सुन्नी नहीं बन जाता। हक़ीक़त यह है कि जो शख़्स इन बीस उमूर का पाबंद है, उसी के अंदर सुन्नियत की तमाम ख़ूबियाँ समा जाती हैं।

नए-नए गिरोह बनाने के बजाय बेहतर यह है कि इंसान अपने आप को इन्हीं उसूलों पर पेश करे। मगर अफ़सोस कि आज जलसों की तक़रीरों में भी इस मेयार को छोड़ दिया गया है।

1. सय्यद अहमद खाँ अलीगढ़ और उसके मुत्तबईन सब कुफ्फार हैं।
2. राफ़िज़ी कहे क़ुरान-ए-अज़ीम को नाक़िस कहे या मौलवी अली करम अल्लाह वज्हाह या किसी ग़ैर-नबी को अम्बिया-ए-साबिक़ीन अलैहिमुस सलाम में से किसी से अफज़ल बताए काफ़िर व मुर्तद है।

3. राफ़िज़ी तबर्रई फ़ुक़हा के नज़दीक काफ़िर है और उसके गुमराह, बिदअती, जहन्नमी होने पर इजमा है।
4. जो मौलवी अली रदि अल्लाहु तआला अन्हु को हज़रात-ए-शैख़ैन रदि अल्लाहु तआला अन्हुमा पर क़ुर्ब-ए-इलाही में तफ़्ज़ील दे वो गुमराह मुखालिफ़-ए-सुन्नत है।
5. जंग-ए-जमल व सिफ़्फ़ीन में हक़ बदस्त-ए-हक़ परस्त अमीर अल-मोमिनीन अली करम अल्लाहु तआला वज्हाह था। मगर हज़रात-ए-सहाबा किराम मुखालिफ़ीन की ख़ता ख़ता-ए-इज्तिहादी थी जिस की वजह से उन पर तअन सख्त हराम, उन की निस्बत कोई कलमा इस से ज़ाइद गुस्ताखी का निकालना बेशक रफ़्ज़ है और खुरूज अज़ दाइरा-ए-अहले-ए-सुन्नत जो किसी सहाबी की शान में कलमा-ए-तअन ओ तौहीन कहे, उन्हें बुरा जाने, फ़ासिक़ माने, उन में से किसी से बुग़्ज़ रखे मुतलक़न राफ़िज़ी है।
6. सद्हा साल से दर्जा-ए-इज्तिहाद-ए-मुतलक़ तक कोई वासिल नहीं है बे-वसूल दर्जा-ए-इज्तिहाद तक़लीद फ़र्ज़, ग़ैर-मुक़ल्लिदीन गुमराह बद-दीन हैं।
7. अहले-ए-सुन्नत सद्हा साल से चार गिरोह (चारों इमाम यानी हनफी, हंबली, मालिकी और शाफयी) में मुनहसिर हैं जो उन से ख़ारिज है बिदअती नारी है।
8. वहाबिय्याह का मुल्लिम-ए-अव्वल इब्न अब्द अल-वहाब नजदी और मुल्लिम-ए-सानी इस्माईल देहलवी मुसन्निफ़ तक़्वियत अल-ईमान दोनों सख्त गुमराह बद-दीन थे।
9. इस्माईल देहलवी की लिखी गई किताब तक़्वियतूल ईमान व सिरात-ए-मुस्तक़ीम व रिसाला यक-रोज़ा व तनवीरूल ऐनैन सरीह ज़लालतों, गुमराहियों और कलिमात-ए-कुफ्रिय्या पर मुश्तमिल हैं।
10. मौलवी इस्हाक़ देहलवी के मसाइल का एक मजमूआ ग़लत व मर्दूद मसाइल मुखालफ़त-ए-अहले-ए-सुन्नत व मुखालफ़त-ए-जुमहूर से भरे हुए हैं।

11. अम्बिया-ए-किराम और औलिया-ए-अज़ाम से इस्तिमदाद (मदद तलब करना) और इस्तिआनत (सहारा लेना) और ज़रूरत के वक़्त वसीले से मदद माँगने के लिए पुकारना जैसे "या रसूल अल्लाह, या अली, या शैख़ अब्द अल-क़ादिर अल-जीलानी" कहना और उन्हें वसीता-ए-फ़ैज़-ए-इलाही जानना ज़रूर हक़ व जाइज़ है।

12. अल्लाह तआला के हुक्म से अम्बिया अलैहिमुस्सलाम और औलिया-ए-किराम का तसर्रुफ़ (किसी चीज़ में दख़ल और हुक्म चलाना) और उनका रूहानी फ़ैज़ दुनिया की ज़िंदगी में भी रहता है और विसाल के बाद भी जारी रहता है, और क़ियामत तक उनसे फ़ैज़ और बरकत का सिलसिला जारी रहेगा।

13. आम मुर्दे ज़िंदा लोगों को देख सकते हैं और उनकी बात सुन भी सकते हैं, यह बात कुछ रिवायतों से साबित है। जब आम मुर्दों का यह हाल है, तो औलिया-ए-किराम की शान और भी बुलंद और आला है।।

14. अल्लाह तआला ने रोज़-ए-अव्वल से लेकर क़ियामत तक जो कुछ भी हुआ और जो कुछ आगे होने वाला है, उसका इल्म अपने हबीब ﷺ को अता फ़रमाया। और हुज़ूर ﷺ को बहुत सी ग़ैबी बातों का इल्म दिया गया।

15. "अल्लाह तआला झूठ बोल सकता है" जैसा के इस्माईल देहलवी ने रिसाला-ए-फ़िरोज़ी और गंगोही ने बराहीन-ए-क़ातिआ में माना सरीह ज़लालत है, अल्लाह तआला हर तरह के ऐब से पाक है इसलिए अल्लाह तआला के लिए झूठ बोलना हर हाल में नामुमकिन है । **मसअला-ए-ख़ुल्फ़-ए-वईद** का इनके ना-पाक ख़याल से कोई ताल्लुक़ नहीं है।

नोट : मसअला-ए-ख़ुल्फ़-ए-वईद" : "अज़ाब की धमकी देना फिर माफ़ कर देना"

अक़ीदे की बहस में "ख़ुल्फ़-ए-वईद" से मुराद यह होती है कि अल्लाह तआला अगर चाहे तो अपने फ़ज़्ल और रहमत से किसी गुनाहगार को माफ़ फ़रमा दे और जिस अज़ाब की चेतावनी दी गई थी, उसे लागू न करे। अहले सुन्नत के नज़दीक यह अल्लाह की रहमत और इख़्तियार के तहत है, और इसे "किज़्ब" (झूठ) नहीं कहा जाता।

16. शैतान के इल्म को हुज़ूर सय्यिदे आलम ﷺ के इल्म से ज़्यादा वसीअ (बड़ा) मानना जैसा के बराहीन-ए-क़ातिआ गंगोही में है सरीह ज़लालत और शान-ए-रिसालत ﷺ में तौहीन और गुस्ताख़ाना बात है।

17. मज्लिस-ए-मीलाद-ए-मुबारक मनाना और उसमें तअज़ीम के तौर पर क़ियाम करना, जैसा कि बरसों से हरमैन शरीफ़ैन समेत कई जगहों पर रिवाज रहा है, जाइज़ है।

18. ग्यारहवीं शरीफ़ की नियाज़, मुर्दों के लिए फ़ातिहा, और औलिया-ए-किराम के उर्स – अगर उनमें गाना-बजाना और दूसरी ग़ैर-शरई बातें न हों तो जाइज़ और सवाब का काम है।

19. शरीअत और तरीक़त अलग अलग नहीं हैं। अल्लाह तक पहुँचने का रास्ता शरीअत की पैरवी से ही है। इंसान चाहे कितना ही बड़ा मक़ाम पा ले, जब तक उसकी अक़्ल बाक़ी है उस पर अल्लाह के अहकाम लागू रहते हैं। झूठे बनावटी सूफ़ी शरीअत के खिलाफ़ कामों को अपना कमाल समझते हैं, सब गुमराह मस्खरान-ए-शैतान हैं,

वहदत-उल-वुजूद" (सूफ़ियाना इस्तिलाह) हक़ है, लेकिन "हुलूल" (अल्लाह का मख़लूक़ में उतर आना) और "इत्तिहाद" (ख़ालिक़ और मख़लूक़ का एक हो जाना) जिन्हें कुछ बनावटी सूफ़ी ग़लत मायनों में बयान करते हैं, सरीह कुफ़्र है ।

20. नदवह (वहबीओ देवबंदिओं का मदरसा) गुमराही का बड़ा ज़रिया व बिदअतों का मजमूआ है, गुमराहों से मेल जोल इत्तिहाद हराम है, उनकी ज़्यादा इज़्ज़त और हिमायत अल्लाह की नाराज़गी का सबब है |

उनके बुरे किरदार और ग़लत रास्ते को रोकने के बजाय उनसे ताल्लुक़ रखना या उनकी रविश अपनाना, लअनत-ए-इलाही की तरफ़ बुलाना है |

उन्हें दीनी मज्लिस का रुकन बनाना (जलसों मे दावत देना) दीन को ढाना है। नदवह के तहरीरों और रवैयों में वो बातें भरी हैं जिन से अल्लाह व रसूल बेज़ार व बरी हैं ।

अल्लाह तआला सब बद-मज़हबों और गुमराहों से पनाह दे और सुन्नत-ए-हक़्क़ा-ए-ख़ालिस पर साबित क़दम रखे। ***(फ़तावा रज़विया मुतर्जम, जिल्द 29, सफ़ा 616 – नया एडीशन)***

हमारी कोशिश व गुज़ारिश

(दीनी ख़िदमात के लिए)

सुन्नियत का दर्द रखने वाले सुन्नी बरैलवी भाइयों से अपील है की अपने माली हुक़ूक को काबिले कबूलियत की अदायगी के लिए सही जगह खर्च करे यानी इल्मे दीन फैलाने में

- ✓ मौजूदा फ़ितनों के रद्द में किताबें और रिसाले लिखवा कर।
- ✓ उर्दू किताबें और रिसालें को हिन्दी या रोमन मे Convert कर के
- ✓ Online में Social Meadia के जरिये किताबें Upload कर के
- ✓ Offline में किताबें और रिसाले प्रिन्ट और तक़सीम कर के
- ✓ Website के जरिये ।

सुन्नियों को गुमराही, बदअकीदगी व गुनाहों से बचाने के लिए कोशिश करें, दूसरो की भलाई में अपना भलाई है।

1 अल्लाह त'आला फ़रमाता है

(तर्जुमा) : **''जो अल्लाह की राह में कोशिश करे तो अपने ही भले के लिए कोशिश करता है बेशक अल्लाह बेपरवाह है सारे जहान से।''**
(क़ुरआन, सूरह -अंकबूत, आयत नं. 6)

2 अल्लाह त'आला फ़रमाता है :

(तर्जुमा) : **''ऐ ईमान वालों अगर तुम ख़ुदा के दीन की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे क़दम जमा देगा।''**
(सूरह मुहम्मद, आयत नं. 7)

3 अल्लाह त'आला फ़रमाता है

(तर्जुमा) : **"तुम में एक जमाअत ऐसी हो कि नेकी का हुक्म दे और गुनाहों से रोके, वही लोग कामयाब हैं।"**
(सूरह इमरान , आयत नं. 104)

सूफ़ियाना नसीहत

कामिल मोमिन बनने के लिए 3 Steps की ज़रूरत है:

1. **अस्ल-ए-ईमान**
   (ज़रूरियात-ए-दीन का इकरार)
2. **जुज़्बा-ए-ईमान**
   (ईमानी ख़ुसलतों को अपनाना)
3. **बातिनी इस्लाह**
   (तौबा और तक़वा)

इन तीनों स्टेप्स को पूरा करने के बाद ही ज़ाहिरी इस्लाह और ज़ाहिरी आमाल में मशगूल रहना चाहिए, वरना इंसान ख़ुद अपने आपको हलाक कर देता है।

इन्ही तीनों स्टेप्स से इंसान नेक बनता है, अगर नेक बने बग़ैर नेकी करता है तों गोया बग़ैर हथियार और जाहिलाना जज़्बात के साथ जंग के मैदान (अमली मैदान) में उतरता है, और नेकी की दावत देना गोया किसी को बग़ैर हथियार के जंग के मैदान में भेजना है |

फिर जंग मे दुश्मन यानी शैतान से हार मान कर उसका ग़ुलाम बन जाता है। फिर शैतान उसके जाहिरी और बतीनी आज़ा (अंगो) को माले गनीमत के तौर कब्जा कर लेता है | फिर इंसान दीन के नाम पर दुनिया तलबी, तकब्बुर, रिया, खुदपसंदी, हसद और लालच का शिकार हो जाता है।

जान लो! **तालीमात-ए-आला हज़रत** और **तालीमात-ए-हुज़ूर ताजुश्शरिअह** एक मुकम्मल और मज़बूत हथियार हैं, शैतान और शैतानी लश्करों से लड़ने के लिए। इन तालीमात (हथियारों) को अपनाओ, ताकि अपने अक़ाइद की हिफाज़त कर सको और मसलक का गद्दार व बातिल का हथियार बनने से बच सको।

- अज़ : सूफ़ी अनवर रज़ा ख़ान क़ादरी